भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1050

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय मिशनों द्वारा निर्यात संवर्धन

1050. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने तमिलनाडु के इरोड जैसे निर्यात-उन्मुख जिलों के उत्पादों सहित वस्त्र, हथकरघा, परिधान, मसाले और कृषि आधारित उत्पादों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने में विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों की भूमिका का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई और निर्यात-उन्मुख संकुलों से उत्पादित उत्पादों के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा सुगम बनाए गए व्यापार संवर्धन और बाजार सुविधा पहलों, व्यापार-संवर्धन कार्यकलापों, क्रेता-विक्रेता जुड़ाव और क्षेत्र-विशिष्ट आउटरीच कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली गैर-प्रशुल्क बाधाओं, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता आवश्यकताओं, स्थिरता मानकों और अन्य बाजार-पहुंच संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क और ख) जी हाँ। मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा वाणिज्यिक/व्यापार संवर्धन गतिविधियों सहित कार्यों का नियमित रूप से आकलन करता है। देश भर के राज्यों से वस्त्र, हथकरघा, परिधान, मसाले और कृषि-आधारित उत्पादों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों से निर्यात को सुविधाजनक बनाना मिशनों/केंद्रों के प्रमुख कार्यों में से एक है। मिशनों के वाणिज्यिक विंग भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं, क्रेता-विक्रेता बैठकों, रोड शो का आयोजन करते हैं तथा बाजार की जानकारी प्रदान करते हैं। वे एमएसएमई सहित भारतीय निर्यातकों की व्यापार पूछताछ का भी समाधान करते हैं, साथ ही व्यापार के अवसरों, निविदाओं

और नियामक आवश्यकताओं के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत, विदेशों में स्थित मिशनों/केंद्रों द्वारा निर्यात संवर्धन कार्य में समन्वय एवं 'संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण' को मजबूत करने के लिए मिशन प्रमुखों (एचओएम) और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) के लिए पांच उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के समन्वय में मुख्य देशों में वस्त्र और हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद कर रहा है। यह विभिन्न पहलों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों के विपणन को भी सुविधाजनक बना रहा है, जिसके प्राथमिक लाभार्थी ग्रामीण कारीगर और एमएसएमई हैं।

(ग) मंत्रालय और विदेशों में स्थित इसके मिशन/केंद्र, वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों के साथ समन्वय करते हैं ताकि गैर-प्रशुल्क बाधाओं, बाजार पहुंच आवश्यकताओं, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों और व्यापार की तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के मामलों पर विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को शामिल किया जा सके। वे विदेशों में विकसित मानकों और नियामक ढांचे पर भारत में संबंधित अधिकारियों और संगत हितधारकों को नियमित अपडेट भी प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य निरंतर आधार पर भारतीय निर्यातों के लिए बाजार पहुंच की रक्षा और उसका विस्तार करना है।
